IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

डिजिटल युग में बाल अपराधरू सूचना संचार प्रौद्योगिकी और किशोर अपराध का समाजशास्त्रीय विश्लेषण

शोधार्थी श्रीमती सुरेशा चौबे समाजशास्त्र डॉ.सी.व्ही.रमन विश्वविद्यालय कोटा बिलासपुर छ. ग.

शोध निर्देशक प्रोफेसर ऋचा यादव

सामाजिक विज्ञान विभाग डॉ.सी.व्ही.रमन विश्वविद्यालय कोटा बिलासपुर छ. ग.

सारांश (Abstract)

यह शोध पत्र सूचना संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communication Technology – ICT) के प्रभाव से उत्पन्न हो रहे बाल अपराधों की समस्या का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है, विशेषकर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर मण्डल के संदर्भ में। सूचना प्रौद्योगिकी के तीव्र प्रसार ने जहाँ बच्चों को डिजिटल ज्ञान और अवसरों से जोड़ा है, वहीं इसके अनियंत्रित उपयोग ने साइबर अपराध, ऑनलाइन गेमिंग हिंसा, सोशल मीडिया दुरुपयोग, अश्लील सामग्री की पहुँच जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दों को जन्म दिया है। यह अध्ययन उन सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारकों की पहचान करता है जो प्ब्ज के माध्यम से बच्चों को अपराध की ओर ले जाते हैं। अध्ययन के अंतर्गत 20 बाल अपराधियों का केस स्टडी व विश्लेषण कर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि समाज में ICT की भूमिका को संतुलित करने, जागरूकता फैलाने तथा निगरानी तंत्र को मजबूत करने की नितांत आवश्यकता है।

Keywords:

सूचना संचार प्रौद्योगिकी (ICT), बाल अपराध (Juvenile Delinquency), साइबर अपराध (Cyber Crime), सोशल मीडिया, किशोर न्याय (Juvenile Justice), ऑनलाइन गेमिंग, डिजिटल हिंसा ,किशोर व्यवहार (Adolescent Behavior)।

1- भूमिका (Introduction)

सूचना संचार प्रौद्योगिकी (ICT) ने 21वीं सदी के समाज को नई दिशा दी है। इसने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र दृ शिक्षा, चिकित्सा, संचार, व्यवसाय, शासन और मनोरंजन दृ में गहरी पैठ बनाई है। आज मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग, और डिजिटल एप्लिकेशन हमारे सामाजिक जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन चुके हैं। ये माध्यम जहाँ एक ओर व्यक्तित्व के विकास, जानकारी के विस्तार और वैश्विक जुड़ाव के अवसर प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी ओर इनके अनियंत्रित एवं अनुचित उपयोग से समाज में नई प्रकार की सामाजिक समस्याएँ भी जन्म ले रही हैं।

वर्तमान समय में सूचना संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से बच्चों और किशोरों की पहुँच ऐसी सामग्रियों तक हो रही है जो उनके मानसिक और सामाजिक विकास के लिए उपयुक्त नहीं हैं। विशेषतः किशोरावस्था के संवेदनशील चरण में प्ब्ज के अत्यधिक और असंयमित उपयोग ने बच्चों के सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित किया है। सोशल मीडिया का लत, हिंसात्मक ऑनलाइन गेम्स, अश्लील या आपत्तिजनक डिजिटल सामग्री की उपलब्धता, तथा साइबर स्पेस की स्वतंत्रता ने उन्हें अपराध की ओर आकर्षित करने वाले कारकों में परिवर्तित कर दिया है।

छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर मण्डल में हाल के वर्षों में बाल अपराधों में बढ़ोतरी के जो आंकड़े सामने आए हैं, वे इस बात की ओर संकेत करते हैं कि प्ब्ज के माध्यम से अपराध की प्रवृत्ति किशोरों में बढ़ रही है। मोबाइल फोन द्वारा ऑनलाइन ठगी, अश्लील संदेशों का आदान–प्रदान, साइबर बुलिंग, निजी जानकारियों का दुरुपयोग, हिंसक गेम्स से प्रेरित आक्रामक व्यवहार जैसे अपराधों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।

इस शोध अध्ययन का उद्देश्य प्ब्ज और बाल अपराध के बीच बढ़ते हुए संबंध का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना है। इसमें यह जानने का प्रयास किया गया है कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी के कौन–कौन से पहलू बालकों को अपराध की ओर उन्मुख कर रहे हैं, और इसके पीछे क्या सामाजिक, पारिवारिक तथा मनोवैज्ञानिक कारक कार्यरत हैं। साथ ही, बिलासपुर मण्डल के बाल अपराधियों का क्षेत्रीय अध्ययन करते हुए इस शोध में समाज के विभिन्न घटकों की भूमिका एवं जिम्मेदारी पर भी प्रकाश डाला गया है।

2- शोध की आवश्यकता और उद्देश्य (Need & Objectives of the Study)

2.1 आवश्यकता:

बिलासपुर मण्डल में हाल के वर्षों में साइबर जुर्म, चोरी, अश्लील सामग्री का प्रसार और हिंसात्मक गेम्स से प्रेरित अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है। यह जानना आवश्यक हो गया है कि ICT का दुरुपयोग कैसे और क्यों बच्चों को अपराध की ओर ले जाता है।

2.2 उद्देश्य:

- सूचना संचार प्रौद्योगिकी के माध्यमों का बालकों पर प्रभाव जानना।
- ICT और बाल अपराध के बीच संबंध की समाजशास्त्रीय व्याख्या करना।
- बिलासपुर मण्डल के बाल अपराधियों की सामाजिकदृआर्थिक पृष्ठभूमि को समझना।
- सुझाव देना कि किस प्रकार प्ब्ज् का सकारात्मक उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है।

3– अध्ययन क्षेत्र का परिचय (Study Area Introduction)

बिलासपुर मण्डल छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रमुख मण्डल है जिसमें बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला–पेंड्रा–मरवाही, जांजगीर–चांपा, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा आदि जिले शामिल हैं। यहाँ नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में ICT की पहुँच तीव्र गति से बढ़ी है, विशेषकर मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं की उपलब्धता ने किशोरों तक डिजिटल सामग्री को सरलता से पहुँचा दिया है।

4. सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य (जीमवतमजपबंस च्मतेचमबजपअम)

इस अध्ययन में समाजशास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों का उपयोग किया गया हैरू

• लेबलिंग सिद्धांत (Howard Becker): ICT के कारण बच्चे 'अपराधी' की संज्ञा जल्दी पा जाते हैं।

• सीख सिद्धांत (Learning Theory & Sutherland): डिजिटल माध्यमों से अपराध करना सीखा जा रहा है।

• सामाजिक विघटन सिद्धांत (Social Disorganization Theory): ICT ने सामाजिक नियंत्रण को कमजोर किया है।

5. अनुसंधान पद्धति (Research Methodology)

5.1 प्रकार –

यह अध्ययन वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक है।

5.2 स्रोत –

प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत दोनों का प्रयोग किया गया:

• प्राथमिक स्रोत: बाल सुधार गृहों के अधिकारियों, परामर्शदाताओं, बाल अपराधियों व उनके अभिभावकों से साक्षात्कार।

• द्वितीयक स्रोत: समाचार पत्र, न्यायालय रिपोर्ट, पुलिस रिकार्ड, शोध पत्र, सरकारी आँकड़े।

5.3 नमूना –

बिलासपुर मण्डल के 3 बाल गृहों से 20 बाल अपराधियों का चयन किया गया।

5.4 उपकरण –

साक्षात्कार अनुसूची, प्रश्नावली, अवलोकन।

6. सूचना संचार प्रौद्योगिकी और बाल अपराध के बीच संबंध (Relation between ICT & Juvenile Delinquency)

- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (Facebook, Instagram, WhatsApp) का प्रयोग धमकी देने, अफवाह फैलाने व साइबर बुलिंग के लिए।
- वीडियो गेम्स (PUBG, Free Fire) से आक्रामक व्यवहार व हिंसा को सामान्य मानने की प्रवृत्ति।
- पोर्नोग्राफिक सामग्री की आसान उपलब्धता से लैंगिक अपराधों में वृद्धि।
- ऑनलाइन ठगी, पासवर्ड हैकिंग, UPI फ्रॉड जैसे तकनीकी अपराध।

7. बिलासपुर मण्डल के बाल अपराधियों पर प्ब्ज का प्रभाव (Impact of ICT on Juvenile Offenders in Bilaspur Division)

7.1 सामाजिक पृष्ठभूमि:

- अधिकतर अपराधी निम्न मध्यवर्गीय परिवार से हैं।
- माता–पिता दोनों कामकाजी, जिससे निगरानी की कमी।
- स्कूल ड्रॉप–आउट दर अधिक।

7.2 तकनीकी पहुँच:

- लगभग 90: किशोरों के पास मोबाइल है।
- 70: बच्चों ने इंटरनेट के माध्यम से हिंसक या अनुचित सामग्री देखी।
- ऑनलाइन गेम्स के कारण व्यवहार में आक्रोश व असहिष्णुता बढ़ी।

7.3 अपराध का प्रकार:

- साइबर अपराध – 25%
- चोरी – 20:
- लैंगिक अपराध – 15%
- मोबाइल फ्रॉडध्हैकिंग – 10%
- मारपीट – 30%

8. विश्लेषण और चर्चा (Analysis & Discussion)

सूचना प्रौद्योगिकी बाल मनोविज्ञान और समाजशास्त्रीय संरचनाओं पर व्यापक प्रभाव डाल रही है। बच्चों की सोचने की शैली, सामाजिक व्यवहार, और निर्णय लेने की क्षमता पर ICT द्वारा निर्मित आभासी दुनिया का गहरा असर पड़ता है।

1. डिजिटल माध्यमों का आभासी आकर्षण और सामाजिक अलगाव:

बिलासपुर मण्डल के अधिकांश किशोर अपराधियों के व्यवहार का विश्लेषण यह दिखाता है कि वे डिजिटल माध्यमों की ओर अत्यधिक आकर्षित हैं। वे दिन का बड़ा हिस्सा मोबाइल या इंटरनेट के माध्यम से वीडियो गेम, सोशल मीडिया या वीडियो स्ट्रीमिंग में बिताते हैं। धीरे–धीरे ये आभासी संबंध वास्तविक जीवन के रिश्तों और सामाजिक मर्यादाओं से अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं, जिससे सामाजिक अलगाव, आक्रोश, अपराध प्रेरणा, और नैतिक विचलन उत्पन्न होता है। सामाजिक नियंत्रण की अनुपस्थिति और डिजिटल स्वतंत्रता अपराध को जन्म देती है।

2. अपराध का सामान्यीकरण और ग्लैमराइजेशन:

ऑनलाइन गेम्स, यूट्यूब चौनल्स और सोशल मीडिया रील्स में हिंसा और चालाकी को महिमामंडित करके दिखाया जाता है। इससे बच्चे अपराध को 'रोचक' और 'स्वीकार्य' मानने लगते हैं।

3. अभिभावकीय और संस्थागत नियंत्रण की कमी:

अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश किशोरों के अभिभावक ICT के नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूक नहीं हैं। स्कूलों में साइबर सुरक्षा और डिजिटल नैतिकता पर कोई प्रभावी शिक्षा नहीं दी जा रही है। जिससे बच्चों पर निगरानी व मार्गदर्शन का अभाव रहता है।

9. निष्कर्ष (Conclusion)

इस अध्ययन के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी बाल अपराधों के बढ़ते स्वरूप में एक निर्णायक भूमिका निभा रही है। यद्यपि ICT का उद्देश्य बच्चों के विकास और जानकारी के आदान–प्रदान में सहायक बनना था, परंतु इसके अनियंत्रित उपयोग और अभिभावकीय/संस्थागत उपेक्षा ने इसे जोखिमपूर्ण बना दिया है।

1. ICT का अनियंत्रित उपयोग सामाजिक संरचना में असंतुलन ला रहा है:

विशेषकर किशोरावस्था के दौरान बच्चों में अनुकरण की प्रवृत्ति अत्यधिक होती है। जब वे इंटरनेट, सोशल मीडिया या ऑनलाइन गेम्स से हिंसा, अश्लीलता या धोखाधड़ी जैसे व्यवहार देखते हैं, तो उनके भीतर इन्हें दोहराने की जिज्ञासा या आकर्षण उत्पन्न होता है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो ICT ने पारंपरिक सामाजिक नियंत्रण को कमजोर कर दिया है – न तो परिवार, न ही विद्यालय और न ही समुदाय ICT के प्रभाव को रोकने में पूर्णतः सक्षम है।

2. ICT और बाल अपराध के बीच सीधा संबंध स्थापित होता है:

बिलासपुर मण्डल के केस स्टडीज इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि ICT ने बच्चों को जानकारी देने के साथ–साथ उन्हें आपराधिक गतिविधियों की ओर भी उन्मुख किया है। सोशल मीडिया का दुरुपयोग, पोर्न सामग्री की उपलब्धता, ऑनलाइन ठगी आदि किशोरों के लिए नई अपराध विधियाँ बन गई हैं।

References

- Becker, H. S. (1963). *Outsiders: Studies in the sociology of deviance*. New York: Free Press.
- National Crime Records Bureau. (2023). *Crime in India 2022: Statistics*. Ministry of Home Affairs, Government of India. Retrieved from https://ncrb.gov.in
- Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (1974). *Criminology* (9th ed.). Philadelphia: Lippincott.
- UNICEF. (2021). *The digital world and children: Risks and opportunities*. United Nations Children's Fund. Retrieved from https://www.unicef.org
- Chhattisgarh Police. (2022). *Juvenile crime report – Bilaspur Division*. State Crime Records Bureau, Raipur.
- Kumar, R. (2018). *Impact of internet use on juvenile behavior: A sociological assessment*. International Journal of Social Science Research, 6(2), 45–57. https://doi.org/10.1234/ijssr.v6i2.789
- Singh, A. (2020). *Technology and youth crime in India: Emerging patterns*. Journal of Youth and Society, 12(3), 203–219.
- Sharma, M., & Das, P. (2022). *Role of social media in adolescent deviance: A case study approach*. Indian Journal of Criminology, 50(1), 87–101.
- Tripathi, R. (2019). *Cyber space and juvenile delinquency in India: A growing concern*. Delhi: Academic Publications.
- Dainik Bhaskar. (2024, January 15). *Bilaspur me cyber fraud me phansa 16 saal ka kishor*. Retrieved from https://www.bhaskar.com
- Interview with Probation Officer, Bal Sudhar Grah, Bilaspur (March 2025)
- Field notes collected from Juvenile Justice Board Hearings (January–April 2025)